

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान मौहम्मद युनुस, हैड कॉनि 2735 बनाम सरकार

किरम मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट नम्बर 15/06/2023 दा0दि0 11.01.2023

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.01.2023	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी हेड कॉन्स्टेबल मौहम्मद युनुस हैड कानि0 2735 अपराध शाखा, थाना कोतवाली फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर आयशर कन्टेनर सं0 एच. आर. 38 टी. 2529 चैचिस सं0 MC263ERC0EE293418 ईजन सं0 E483CDEE644798 चोरीशुदा वाहन अभियोग सं0 10 दिनांक 06.01.2023 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 राज0 गोवंशीय पशु नियम 1995 थाना ततारपुर राज0 एवं 379 आईपीसी थाना कोतवाली फरीदाबाद हरियाणा में बरामद की हुई है। जिस पर फर्जी नंबर एच.आर. 38 टी. 0108 लिखा हुआ है, को केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना ततारपुर पुलिस जिला भिवाड़ी से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी थाना ततारपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण सं0 10 दिनांक 06.01.2023 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 राज0 गोवंशीय पशु नियम 1995 में जप्तशुदा वाहन आयशर कन्टेनर रजि0 सं0 एच.आर. 38 टी. 2529 चैचिस सं0 MC263ERC0EE293418 ईजन सं0 E483CDEE644798 की मुकामी थाना को अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व रिपोर्ट पुलिस थाना ततारपुर पुलिस जिला भिवाड़ी में जप्तशुदा वाहन आयशर कन्टेनर रजि0 सं0 एच.आर. 38 टी. 2529 चैचिस सं0 MC263ERC0EE293418 ईजन सं0 E483CDEE644798 को थानाधिकारी पुलिस थाना ततारपुर की अनापत्ति के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली फरीदाबाद, हरियाणा को स्थानांतरित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	